बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 02/03/2023

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-13/2022 ...468..... बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1462 दिनांक 02.08.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ **रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत नौहट्टा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1611 दिनांक 30.08.2022 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन स्थगन के पूर्व सूचना का प्रकाशन, नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। अत: उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	मतदान	20.03.2023 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	20.03.2023 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	23.03.2023 (गुरूवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **नौहट्टा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 13.03.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 23.03.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

6. अधिसूचना संख्या 1462 दिनांक 02.08.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

2/3/23

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 468

पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 468

पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), रोहतास/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ अपर समाहर्त्ता, रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), नौहट्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), रोहतास से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), नौहट्टा को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 468

पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 468

पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।